न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 279 सन 2019

अनवान :–

1. जयवीर पुत्र सुरजीत जाति जाट साकिन निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुरजीत पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजवीर पुत्र सुरजीत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 151/175–53 की कुल 1.5040हैक रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 155/133 की कुल 8.3760हैक भूमि में 1/2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके दो पुत्रो एक पुत्रीयो के नाम से दर्ज हुई प्रतिवादी संख्या 1 की बहनों के द्वारा दस्तवरदारी करवाने पर वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लादूराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 151/175–53 की कुल 1.5040हैक रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 155/133 की कुल 8.3760हैक भूमि में

Scanned with CamScanner

1/2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके दो पुत्रो एक पुत्रीयो के नाम से दर्ज हुई प्रतिवादी संख्या 1 की बहनों के द्वारा दस्तवरदारी करवाने पर वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 151/175–53 की कुल 1.5040हैक्ट रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 155/133 की कुल 8.3760हैक्ट भूमि में 1/2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान जमाबन्दी सें साबित है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके दो पुत्रो एक पुत्री के नाम से दर्ज हुई प्रतिवादी संख्या 1 की बहनों के द्वारा दस्तवरदारी करवाने पर वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी रोही मौजा चक 10 जेएसएन के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा लादूराम वल्द पेमाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लादूराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि पैतृक है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 कर बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 151/175–53 की कुल 1.5040हैक्ट रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 155/133 की कुल 8.3760हैक्ट भूमि में 1/2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/09/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. जयवीर पुत्र सुरजीत जाति जाट साकिन निवारी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुरजीत पुत्र लादूराम जाति जाट निवारी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजवीर पुत्र सुरजीत जाति जाट निवारी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 279 सन 2019 निर्णय दिनांक– 28/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 151/175–53 की कुल 1.5040हैक् रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 155/133 की कुल 8.3760हैक् भूमि में 1/2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner